

प्रेस नोट 19.09.2021

**दो अर्न्तजनपदीय शातिर अपराधी पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार कब्जे से एक अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद पिस्टल व 03 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन मे अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व मे थाना चिरैयाकोट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.09.2021 को प्रातः 4.35 बजे हाफिजपुर पुलिया पर एक मोटरसाइकिल से रासेपुर की तरफ से आ रहे 02 बदमाशो को टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया गया तो दोनो बदमाश अचानक पुलिस को देखकर गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास करने जिन्हें पुलिस बल द्वारा ललकारा गया तो दोनो ने जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर लक्ष्य करके फायर किया पुलिस बल सिखलाये हुए तरीके से हिकमत अमली का प्रयोग कर बडहल मोड़ पर पेड का आड़ लेकर किसी तरह अपनी जान बचायी तथा साहस का परिचय देते हुए उक्त दोनो बदमाशो को बडहल पुलिया पर ही गिरफ्तारी कर लिया गया । दोनो ने अपना नाम क्रमशः 1. धनन्जय सिंह उर्फ रिक्कू पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी जमुवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ 2. शुभम सिंह उर्फ गोरे पुत्र विजय सिंह निवासी देउरपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.09.2021 को मुहल्ला जमीन अताउल्लाह के राजेन्द्र कौशल पुत्र विश्वनाथ ठठेरा निवासी जमीन अताउल्लाह थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ लगभग 4-5 वर्ष पूर्व राजेन्द्र कौशल पुत्र विश्वनाथ से मोबाइल रिपेयर की बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था जिसमे राजेन्द्र कौशल ने लोहे की राड से धनन्जय सिंह के सर पर वार किया था जिसमे कुल 9 टाके लगे थे उस मामले में सुलह समझौता परिवारी जनो के माध्यम से हो गया लेकिन लगभग एक सप्ताह पूर्व मै होण्डा एजन्सी चिरैयाकोट के सामने अपनी मोटर साइकिल बनवा रहा था कि राजेन्द्र कौशल अपने कुछ साथियो के साथ आया और व्यंग्तात्मक कमेन्ट पास करते हुये कहने लगा कि यह है अखण्ड प्रताप सिंह के भतिजे बडका माफिया बनते है बडहल पुलिया पर इनको ढग से पीट दिया कुछ नही उखाड़ पाये कहते हुये हसने लगा साहब मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ मैने राजेन्द्र कौशल को चार दिन का समय दिया कि चार दिन के अन्दर ही तुमको बताउगां फिर अपने मित्र शुभम सिंह उर्फ गोरे पुत्र विजय सिंह ग्राम देऊरपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ से मिल कर असलहे की व्यवस्था कर जान से मारने की नियत से दिनांक 16.9.21 को शाम को 07.35 से 7.45 के करीब उसके घर के पास जाकर तमंचे से फायर किया मेरी गोली भागते समय उसके पीठ मे दाहिने साइड मे लगी मै तो उसे जान से मारना चाहता था लेकिन बच गया। ज्ञातव्य है कि

धनन्जय उर्फ शुभम दोनो साथ मे ही उदय प्रताप कालेज वाराणसी मे साथ पढते थे । तभी से दोस्ती है ।

### **गिरफ्तार शुदा अभियुक्त**

1. धनन्जय सिंह उर्फ रिक्कू पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी जमुवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़
2. शुभम सिंह उर्फ गोरे पुत्र विजय सिंह निवासी देउरपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़  
**बरामदगी**

1. घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल नं0 - UP 54 N 8775 धनन्जय सिंह के पास से बरामद
2. एक अदद तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अभियुक्त धनन्जय सिंह के कब्जे से व एक पिस्टल व तीन अदद जिंदा कारतूस 32 बोर अभियुक्त शुभम सिंह के कब्जे से बरामद  
**गिरफ्तार करने वाली टीम**

- 1.श्री अविनाश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
- 2.श्री उमेश चन्द्र यादव थाना चिरैयाकोट मऊ
3. उ0नि0 श्री बेचूप्रसाद यादव थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
6. का0 गोकर्ण यादव थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
- 7.का0 अमित यादव
8. का0 हिमांशु यादव

### **अपराधिक इतिहास**

#### **धनन्जय सिंह उर्फ रिक्कू पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी जमुवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़**

1. मुअ0सं0 145/21 धारा 307 भादवि0 थाना चिरैयाकोट मऊ
2. मु0अ0सं0 146/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना चिरैयाकोट मऊ
3. मु0अ0सं0 147/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट

#### **शुभम सिंह उर्फ गोरे पुत्र विजय सिंह निवासी देउरपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़**

1. मुअ0सं0 145/21 धारा 307 भादवि0 थाना चिरैयाकोट मऊ
2. मु0अ0सं0 146/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना चिरैयाकोट मऊ
3. मु0अ0सं0 148/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट
- 4.धारा 392/411 भादवि0 थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर

### **शांति भंग की अशंका में 19 व्यक्ति गिरफ्तार—**

आज दिनांक 19.09.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा अजीत निवासी मदापुर समसपुर थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा राजेश, सन्नी, सोनू, आसिफ निवासीगण मेउडीकला थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा रामकुवर निवासी जमीन दाड़ी, संजय, बबलू, रमाकान्त, बिजू निवासीगण मूंगमांस, राजू निवासी नौसेमर, अंगद, विजेन्द्र, उबैजूर रहमान, शकील निवासीगण कुर्थीजाफरपुर, थाना कोपागंज, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा दीपक कुमार, सुबेदार निवासीगण महासों थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा अमित शर्मा, संदीप सिंह निवासीगण किन्नूपुर ताजोपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

एच्छिक ब्यूरो के प्रयाश से 32 मामलों में से 10 मामलों का हुआ निस्तारण, एक दंपती साथ रहने को हुये राजी—

आज दिनांक 19.09.2021 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अमित सिंह के पर्यवेक्षण में हुयी इसमें कुल 32 मामलें आये, जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयाश से चन्द्रकला तथा छोटु आपासी मतभेद भूलाकर साथ रहने को राजी हुये, वही सलमा खातुन व सईद के मामलें मे मुकदमा कोर्ट में चल रहा है सलमा चाहती है पति सईद उसे परेशान न करे अतः पति सईद को सख्त मना किया गया तथा दोनो की मर्जी से फाइल को बन्द किया गया। रीता देवी, रामविलाश, व प्रियंका, अंगद के मामलों के प्रार्थी के मर्जी से फाइल बन्द किया, गुड़िया जायसवाल व सुनित जायसवाल के मामलों में अभियोग के लिए फाइल भेजी गयी। चार मामले कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण बन्द किये गये। अन्य मामलों में प्रार्थीनी के गैर हाजिरी के कारण बन्द किये गये। बैठक में एच्छिक ब्यूरो के सदस्य सर्वेश दूबे, अर्चन उपाध्याय, मौलवी अरशद, उ0नि0 विन्धवासिनी रानी पाण्डेय, महिला आरक्षी सोनी सिंह, महिला आरक्षी प्रीती दुबे उपस्थित रही।